

छत्तीसगढ़ विधानसभा

पत्रक भाग-दो

बुधवार, दिनांक 12 फरवरी, 2014 (पौष 23, 1935)

सभा में मोबाईल फोन नहीं ले जाने के संबंध में

विधान सभा की कार्यवाही के दौरान सदन में मोबाईल फोन की घंटी बजने से या उसका उपयोग करने से सदन की कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न होता है। अतः विधान सभा की कार्यवाही के दौरान मोबाईल फोन का उपयोग वर्जित है। पूर्व में एकाधिक अवसरों पर माननीय सदस्यों के मोबाईल फोन की घंटी बजने से सभा की कार्यवाही में व्यवधान की स्थिति उत्पन्न हुई है।

अतः माननीय मंत्रीगण तथा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि सदन की कार्यवाही के दौरान कृपया अपने मोबाईल फोन साथ लेकर नहीं आये/मोबाईल फोन स्वीच ऑफ मोड में रखें।

माननीय सदस्यों से यह भी अनुरोध है कि वे सभा में जाने के पूर्व अपने-अपने मोबाईल फोन सूचना कार्यालय में जमा कर पावती प्राप्त करें।

माननीय मंत्रीगण एवं सभी माननीय सदस्यों से सदन की गरिमा बनाये रखने में सहयोग की अपेक्षा है।

देवेन्द्र वर्मा,
प्रमुख सचिव